

द्वितीय भाग

सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	सोमवार 02.07.18
2	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
	अ समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (उत्तराद्ध) कक्षाएँ	सोमवार 02.07.18
	ब स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	प्रवेश कार्यक्रम के बिन्दु 4 अ/ब के अनुसार
3	छात्रसंघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किये जायेंगे
4	छात्रसंघ का उद्घाटन	छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह तक
5	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 31.08.18
6	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
7	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार
8	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में
9	दशहरा अवकाश	बुधवार 17.10.18 से शुक्रवार 19.10.18 तक
10	विश्वविद्यालय नामांकन	विश्वविद्यालय के अनुसार
11	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
12	दोपायली अवकाश	गुरुवार 01.11.2018 से शुक्रवार 09.11.18 तक
13	दूसरा कक्षा टेस्ट	दिसम्बर माह में
14	शीतकालीन अवकाश	मंगलवार 25.12.18 से सोमवार 31.12.18 तक
15	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह	गुरुवार 31.01.2019 तक
16	एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त
17	प्री परीक्षा	शुक्रवार 18.1.19 से
18	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	
(क)	स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
(ख)	स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
19	सत्र का समापन	रविवार 30.06.19
20	परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार
21	नवीन सत्रारम्भ	सोमवार 01.07.19

टिप्पणियां—

- राज्य के किसी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणोत्तर गतिविधियां दिनांक 31.01.2019 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायें।
- उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
- समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.02.19 से पूर्व अथवा विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार आयोजित कर ली जाएं। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएं यथावत चलेंगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं।